"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2008—आषाढ़ 20, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं एस. सूर्यनारायण आत्मज स्व. श्री पैडतली, उम्र 42 वर्ष, निवासी सेक्टर 4, सड़क 6, क्वा. नं. 14 बी, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र लवीन कुमार जिनकी जन्म तिथि 19-2-1991 है, का नाम परिवर्तित कर एल. नवीन कुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को एल. नवीन कुमार आत्मज श्री एस. सूर्यनारायण के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम
लवीन कुमार
आत्मज श्री एस. सूर्यनारायण
निवासी क्वा. नं. 14 बी, सड़क नं. 6
सेक्टर 4, भिलाई नगर
तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम
एल. नवीन कुमार
आत्मज श्री एस. सूर्यनारायण
निवासी क्वा. नं. 14 बी, सड़क नं. 6
सेक्टर 4, भिलाई नगर
तहसील व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

उप नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती रामबाई, धुर्वे पति स्व. श्री संतराम धुर्वे, निवासी राजातालाब रायपुर. तह. व जिला रायपुर की हूं. मैं अपने कुलनाम (सरनेम) धुर्वे को परिवर्तित कर अपना नाम श्रीमती रामबाई कोसरिया रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती रामबाई कोसरिया पति स्व. श्री संतराम धुर्वे के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती रामबाई धुर्वे पति स्व. श्री संतराम धुर्वे निवासी राजातालाब, रायपुर (ज्योति फैंसी स्टोर्स के पास) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती रामबाई कोसरिया पति स्व. श्री संतराम धुर्वे निवासी राजातालाब, रायपुर (ज्योति फैंसी स्टोर्स के पास) तह.- जिला व रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हरीश कुमार अहरवाल आत्मज स्व. श्री के. एल. अहरवाल, आयु 27 वर्ष, निवासी रामविलास कौशिक स्टॉफ कालोनी, चरचा कालरी, बैकुन्ठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम (सरनेम) अहरवाल को परिवर्तित कर अपना नाम हरीश कुमार राय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे हरीश कुमार राय आत्मज स्व. श्री के. एल. अहरवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
हरीश कुमार अहरवाल आत्मज स्व. श्री के. एल. अहरवाल निवासी रामविलास कौशिक स्टाफ कालोनी, चरचा कालरी, बैकुंठपुर जिला-कोरिया (छ. ग.)	हरीश कुमार राय आत्मज स्व. श्री के. एल. अहरवाल निवासी रामविलास कौशिक स्टाफ कालोनी, चरचा कालरी, बैकुंठपुर जिला-कोरिया (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक 663/उपंरा/परि./2008.— आदिवासी बढ़ई एवं लोहारी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, भड़सेना, पं. क्र. 1 दिनांक 01-01-1985, विकास खण्ड चौकी, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अं र्ग. परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1241 दिनांक 17-6-1986 में संशोधित कर कार्यालयीन आदेश क्र./889 दिनांक 10-11-2003 से श्री बी. आर. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड, डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमा नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, के छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा18(1) के अंतर्गत आदिवासी बढ़ई एवं लोहारी उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, भड़सेना, पं. क्र. 1 दिनांक 01-01-1985, विकास खण्ड चौकी, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक 664/उपरा/परि./2008.— कुंभकार औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगांव, पं. क्र. 9 दिनांक 30-12-1985, विकास खण्ड डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1682 दिनांक 24-10-1994 से श्री बी. आर. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड, डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा18(1) के अंतर्गत कुंभकार औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगांव, पं. क्र. 09, दिनांक 30-12-1981, विकास खण्ड, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक 665/उपरा/परि./2008.—सुभाष बांस वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, मुकादाह, पं. क्र. 04 दिनांक 30-12-1985, विकास खण्ड मानपुर, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1215 दिनांक 26-7-1994 से श्री बी. आर. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा18(1) के अंतर्गत सुभाष बांस वस्तु निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, मुकादाह, पं. क्र. 04, विकास खण्ड मानपुर, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जून 2008

क्रमांक 666/उपंरा/परि./2008.—हरिजन एवं आदिवासी रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बांधाबाजर पं. क्र. 67 विकास खण्ड चौकी, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1898 दिनांक 27-11-1995 से श्री बी. आर. सोनी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकास खण्ड, डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं एस. एल. विश्वकर्मा, उप्र पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा18(1) के अंतर्गत हरिजन एवं आदिवासी रेडीमेड वस्त्र उद्योग सहकारी समिति मर्यादित बांधाबाजार, पं. क्र. 67, विकास खण्ड चौकी, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 23-6-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.